

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

परिचय-?

क्रमांक : ४५ ९ (५) (१२-१) / सा. न्या. अ. वि./०८-०९ | ५५९५

दिनांक : ०१.०५.२०

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा
पेंशन नियम, 2013

राजस्थान राज्य के पेंशनर वृद्ध, विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का नाम "राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013" है।
(ii) ये नियम ०१ अप्रैल, 2013 से लागू होंगे।

यह नियम "राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974" को अतिथित करते हैं।

पेंशन स्वीकृति के इस आदेश के जारी होने की तिथि को विधासाधीन लंबित आदेशन-पत्रों पर इन नियमों के उपरान्धों के अनुसार कार्यवाही की जातेगी।

परन्तु इन नियमों में अन्तर्विष्ट अन्य किसी घात के होते हुये भी इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों को "राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974" के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जा चुकी हैं अथवा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने की तिथि तक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

१

परिमाणाएँ :-

- (i) सामाजिक सुरक्षा पेंशन से अभिप्रेत हैं, वृद्धावस्था, विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा पेंशन जो इन नियमों के अधीन किसी पेंशनर को रवीकृत की जाये।
- (ii) "भूल निवारी" से अभिप्रेत हैं जो राजस्थान का भूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवारा कर रहा हो
- (iii) "आय" से अभिप्रेत है, कि प्रार्थी के जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो।
- (iv) "पेंशन राशि" से अभिप्रेत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत भासिक भुगतान राशि से है जो निम्नानुसार है :-

 - (i) ७५ वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. ५००/- प्रतिमाह
 - (ii) ७५ वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रु. ७५०/- प्रतिमाह

परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राइवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या पूर्व में प्राप्त लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

- (v) "जांच अधिकारी" ग्रामीण होत्र के आवेदनों के लिए संबंधित तहसीलदार/अति तहसीलदार/ नायम तहसीलदार तथा शहरी होत्र के आवेदनों के लिए संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, जांच अधिकारी होंगे।
- (vi) "स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी" ग्रामीण होत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के रूप में प्रधान/उपप्रधान, संबंधित पंचायत समिति, रातरस्य होंगे।

शहरी होत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदनों की रवीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति

गहिता होगी, जिसमें संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, इन संबंधित नगर निकाय के जनप्रतिनिधि के रूप में गठापौर/उप महापौर/समापति/उप समापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

(vii) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी:-

1. उपखण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष
2. संबंधित विकास अधिकारी – सदस्य
3. प्रधान /उप प्रधान/ संबंधित क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य – सदस्य ।

(viii) शहरी क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी:-

1. उप खण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशासी अधिकारी संबंधित नगर निकाय – सदस्य
3. महापौर/उप महापौर/समापति/उप समापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद – सदस्य

(ix) "पेशन आहरण एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित कोष/उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी (पेशन भुगतान अधिकारी)/उप कोषाधिकारी (सहायक पेशन भुगतान अधिकारी) / अभिप्रेत है।

(x) "जिला पेशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित जिले का जिला कलक्टर अभिप्रेत है।

(xi) "अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।

अध्याय — 2

वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन ।

3. पात्रता :

- (1) 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, या
- (2) वह 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष, जो किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किए गए सर्वेक्षण में ग्रामीणी की रेखा से नीचे के परिवारों (केन्द्रीय बी.पी.एल. / राज्य बी.पी.एल.) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या
- (3) वह 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष, जो सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति का हो या आस्था कार्ड धारी परिवार का सदस्य हो, वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र होगा।

८

विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

४ पात्रता :

१० वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रही हो, पेंशन की पात्र होगी, यदि :—

- (१) वह किसी ऐसे परिवार की हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किये गये सर्वेक्षण में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के परिवार (केन्द्रीय बी.पी.एल. / राज्य बी.पी.एल.) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या
- (२) सहरिया/कथोड़ी/खैरवा जाति की हो या आस्था कार्डधारी परिवार की हो, या
- (३) एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो, या
- (४) जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो।

स्पष्टीकरण— उक्त प्रयोजन हेतु “परित्यक्ता” से अभिप्रेरु है

- (क) समस्त वैध रूप से विच्छिन्न विवाह महिलाएं जिनके पास विवाह-विच्छेद डिक्री हो,
- (ख) समरत तैयारूप से अलग हुई महिलाएं जिनके पास न्यायालय आदेश हो,
- (ग) ऐसी समस्त महिलाएं जिनके विवाह -विच्छेद या दापत्य अधिकारों का पत्तास्थापन चाहने के मामले न्यायालय में पौंच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हों और जिसके पास न्यायालय दस्तावेज हों।
- (घ) ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ-पत्र एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

TJ

वृद्धावस्था एवं विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन हेतु आवेदन,
स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया

5. आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रक्रिया

- (i) ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक, जिस तहसील/उप तहसील में निवास कर रहा है, उस तहसील/उप तहसील के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या विकास अधिकारी (पंचायत समिति) को लक्ष सहारी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष, प्रारूप एस.एस.पी. – I, में पेंशन के लिये पूर्ण रूप से भरा हुआ, सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित, आवेदन—पत्र प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित कार्यालय हारा आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त आवेदक को रसीद दी जायेगी। आवेदन—पत्र निमांकित कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे :—

- तहसील/उप तहसील/उपखण्ड कार्यालय
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,
- नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम
- कोषागार/उपकोषागार
- जिला कलेक्टर कार्यालय

यदि भुद्रित आवेदन—पत्र ऊपलब्ध नहीं हो तो, आवेदन—पत्र सादा कागज पर भी प्रस्तुत किया जा सकेगा या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वैब साईट www.sje.rajasthan.gov.in से या राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वैबसाइट www.rajssp.raj.nic.in से डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

- (ii) विहित प्रारूप में आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी उसकी प्रविष्टि रजिस्टर एस.एस.पी. II में कराने की व्यवस्था करेगा। नए आवेदन—पत्र दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई आवेदन—पत्र अस्वीकार ही किया गया था। अर्थीकृत आवेदन पत्रों के लिए अलग रा एक राहायक पंजिका भी संचारित की जाएगी।

- (iii) उसके बाद जांच अधिकारी सकत आवेदन-पत्र की संवीक्षा करेगा और आवेदक की जन्म तिथि, आयु, अधिवास, निवास स्थान और आय या आजीविका के स्तोत्र की जांच करेगा। इन नियमों में यथा परिमापित उसके परिवार के सदस्यों के विरहुत व्योरों का सत्यापन करेगा। वह जन्म तिथि/ आयु की जांच निम्नलिखित दरतापेजों से, नीचे दिये गए अधिपान क्रम से करेगा :—
- (क) स्कूल प्रमाण पत्र;
 - (ख) नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम, पंचायतों द्वारा संधारित जन्म रजिस्टर/जन्म प्रमाण पत्र या
 - (ग) लोकसभा/विधानसभा/नगर निकाय की नवीनतम मतदाता नामावली, जिसमें आवेदक का नाम हो,

या

उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र जो उसके समक्ष पेशनर के लिखित कथन प्राप्त होने पर तथा उस पर दो गवाहों का समर्थन प्राप्त करके और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, दिया गया हो,

- (घ) ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिया गया आयु प्रमाण-पत्र।
- (ङ) गात्र आयु का उल्लेख होने पर जन्म तिथि निर्धारण की प्रक्रिया जिन प्रकरणों में सिर्फ आयु का उल्लेख हो ऐसे प्रत्येक पेशनर की जन्म तिथि का निर्धारण निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा :—
- (अ) पेशनर की आयु अथवा जन्मतिथि का सत्यापन नियम – 5 (iii) में उल्लेखित अभिलेखों यथा— विद्यालय प्रमाणपत्र, नगर पालिका/नगर निगम/नगर परिषद/ग्राम पंचायत में संधारित जन्म पंजिका, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, यूनिक आईडी, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये आयु प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं रकारक्षा अधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए गोडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिये गये आयु प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जा सकता है।

१३

- (v) ऐसे आवेदक जिनकी जन्मतिथि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ऐसे प्रकरणों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता है। यदि एक सौ अधिक अभिलेख उपलब्ध हों तो इन अभिलेखों में से जिस अभिलेख में अधिक आयु दर्शाई गई हो, को आयु माना जाये एवं यह निर्धारित आयु उस वर्ष की 30 जून को मानी जायें। तदनुसार उसकी जन्मतिथि उस वर्ष की 1, जुलाई को माना जायें।
- (iv) जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन का परिणाम और उस मामले में विचार करने के लिए कोई अन्य विशिष्ट सूचना, आवेदन-पत्र के प्रारूप एस.एस.पी. I को भाग II में अभिलिखित की जायेगी।
- (v) सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन-पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम-2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का उत्तरदायित्व होगा।
- (vi) जांच अधिकारी आवेदन पत्रों की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात मूल प्रारूप एस.एस.पी. I को अपनी सिफारिशों के साथ स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपर्युक्त अधिकारी) के पास स्वीकृति आदेशों के लिये ऑनलाइन भेजेगा।
- (vii) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी प्रत्येक मामले पर साक्षानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् या तो प्रारूप एस.एस.पी. I के भाग III में पेशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति सांबंधी आदेश पारित करेगा एवं उसे ऑनलाइन भेजेगा। पेशन रवीकृत होने पर पेशन वाली स्वीकृति के आदेश प्रारूप एस.एस.पी. III सम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी करेगा। साथ ही स्वीकृति आदेश में यह भी प्रमाणित करेगा कि स्वीकृति में दिये गये तथ्यों की भली भाति जांच कर ली गई है तथा आवेदक स्वयं मेरे समक्ष उपरिथित हुआ/हुई, जिसका फोटो से मिलान कर लिया गया है, जो सही है। इसकी दो हार्ड कॉपी (जिन पर पेशनर की प्रमाणित फोटो लगी हो) सम्बन्धित कोषाधिकारी/उपर्युक्त अधिकारी को भेजी जायेगी तथा पेशनर गरित एवं सामनिक जांच अधिकारी को इसकी एक प्रति पृछाकृत करेगा। पेशन अस्वीकृत होने की स्थिति में इसकी सूचना रवीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रत्यक्षित की जायेगी तथा आवेदक को भी सूचित किया जायेगा। यह कार्य 15

दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदाकरणों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(viii) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी¹दो रजिस्टर रखेगा, अर्थात् :-

- (क) स्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर,
- (ख) अस्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर; -
रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी।

(ix) पेंशन स्वीकृति आदेश को² ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश पर कोषालय/उपकोषालय में दर्ज होने की क्रम संख्या अंकित कर हस्ताक्षर किए जायेंगे तथा प्रारूप IV में पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। पेंशन भुगतान की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 में कर्त्तव्य निर्धारित समय सीमा में की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

6. पेंशन स्वीकृति :-

- (i) किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावानु के आधार पर देय होगी। जिन प्रकरणों में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को पेंशन स्वीकृति हेतु उचित नहीं मानता है। उसमें अस्वीकृति का कारण अभिलिखित करते हुए आवेदन अस्वीकृत करना होगा तथा जिन प्रकरणों में स्वीकृत पेंशन को रोकने का निर्णय लिया जाता है। उसमें भी संबंधित व्यक्ति को कारण सहित सूचित करना होगा।
- (ii) सरकार आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन, विहित रातों को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कर सकेगी।

7. पेंशन की वैधता :-

- (i) नी वी एल सूनी गें सूतीबन्द राते तक ॥
- (ii) जीवन निर्वाह हेतु रख्य की नियमित आय नहीं होने तक।
- (iii) निधन/परिलाक्ता/तलाकशुदा के मामले में पुनर्विवाह न करने तक होगी।

१० पेंशन का प्रारम्भ :- पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किए जाने के माह की प्रथम तारीख से संदेश होगी।

११. पेंशन की सामाप्ति :-

- (i) पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन की अनाहरित रकम व्यपगत हो जाएगी।
- (ii) पेंशनर के राजस्थान के बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, पेंशनर के राजस्थान लौटने पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की तारीख से पेंशन का पुनः संदाय प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की कालावधि के लिए प्रोद्भूत पेंशन की बकाया संदेश नहीं होगी।

१२. पेंशन की बकाया का संदाय :-

(क) यदि पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है तो कोई बकाया संदेश नहीं होगा। तथापि, ऐसे मामलों में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहाँ पेंशन की रकम एक वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है यहाँ नियम ९ के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारी बकाया के संदाय के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे :-

- (१) यदि पेंशन की रकम ५ मास तक आहरित नहीं की जाये। सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी
- (२) यदि पेंशन की रकम ५ मास से अधिक किन्तु १ वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाये। राम्बन्धित जिले का कलकटर

१३. अपील अधिकारी :- स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील जिला कलकटर को की जाएगी। अपील रवीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की तिथि से ले गाह के गोपनीय की जानी चाहिए। तथापि, राज्य सरकार का सामाजिक स्वाध एवं अधिकारिता विभाग कलकटर द्वारा पारित आदेश को गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित करते हुए पुनर्विलोकित कर सकेगा।

12. नार्थिक सत्यापन :— ग्रामीण क्षेत्र मेरहने वाले पेशनरों का प्रत्येक वर्ग मार्त माह मेरग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत आमाजित होने वाले कौपों मेरसरपत्न एवं पटवारी पंचायत्यार/ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण पत्र सूची के रूप मेरतैयार कर विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी/उप—कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। पेशनर उसके निवास क्षेत्र के पटवारी और सरपंच द्वारा संखुक्त रूप से हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र मेरहने वाला पेशनर उसके निवास क्षेत्र की नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम मेरपदस्थापित अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु पेशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, पेशनर की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेशन के संदाय के हक से उसे बंधित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। सन्देह की स्थिति मेरपेशन भुगतान अधिकारी पेशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेशन संदाय आदेश मेरबतलाये गये पहचान चिन्हों के सन्दर्भ मेरअपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर एस.एस.पी V मेरभौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जाएगा।
13. पेशनर की मृत्यु की सूचना :— पेशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति मेरपटवारी/ग्राम पंचायत/नगर निकाय प्राधिकारी, अथवा पोस्ट ऑफिस/बैंक सम्बंधित कोषाधिकारी/उप—कोषाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जिसमेरपेशनर का नाम, पता, मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना प्राप्त होने पर उप—कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पंजिका एस.एस.पी. संख्या V मेरलाल स्थानी से प्रतिष्ठित करेगा कि “श्री/श्रीमती —————— पिता/पति श्री —————— की तारीख —————— को मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त सूचना के आधार पर भुगतान बन्द किया गया”। उप—कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पेशन बन्द करने के प्रत्येक मामले की सूचना कोषाधिकारी और रवीकृतिकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा।

४

14. कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :-

- (i) जिला कोषागार का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर (जिला पेशन एवं संवितैरण अधिकारी) सामाजिक सुरक्षा पेशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण तथा पेशन भुगतान की नमूना जांच करेगा।
- (ii) उप-कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी सामाजिक सुरक्षा पेशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेगा और अपने आपका समाधान करेगा कि उसके द्वारा स्वीकृत किये गये सभी मामले उप-कोषागार के रजिस्टरों में प्रविष्ट कर दिए गए हैं और भुगतान नियमित रूप से व यथा समय किए जाते हैं। वह अपने आपका इससे भी समाधान करेगा कि उप-कोषागार के रजिस्टरों में सुधार संबंधी प्रविष्टियाँ जैसे पेशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु या उसके पते में परिवर्तन, अविलम्ब की जाती हैं। निरीक्षण के समय पेशन भुगतान की नमूना जांच भी करनी होगी।
15. सामाजिक सुरक्षा पेशन खीकार करने पर वर्जन (रोक) :- उन व्यक्तियों को, जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वयंवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्त्रोत से गहले से ही पेशन प्राप्त कर रहे हों, तो वे उन्हें पूर्ववत् प्राप्त करते रहेंगे।

११


अध्याय — 6
राष्ट्राधिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

16. (i) कोषाधिकारी और उप—कोषाधिकारी पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।
- (ii) कोषाधिकारी या उप—कोषाधिकारी द्वारा यथा स्थिति पेशनर को पेंशन, मनीऑर्डर द्वारा या बैंक / फोस्ट ऑफिस बचत खाते/सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जायेगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।
- (iii) पेंशन, सम्बन्धित माह के समाप्त हो जाने के पश्चात् देय होगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासंभव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेशनर के व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।
- (iv) यदि पेशनर पेंशन का भुगतान व्यक्तिगत थाढ़े तो किया जायेगा। अगर पेशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जायेगा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक द्वारा निहित प्रपत्र एस.एस.पी. IX में एक बंध—पत्र निष्पादित किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण—पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा :—

मैं (नाम) पुरुष
 नियासी जिला
 स्वीकार करता हूँ कि (नाम पेशन पाने वाले का) को जो
 राज्य सरकार से पेशन स्वीकृत है, मैं उसका पालन पोषण करूँगा।
 मिनांक

उस्ताद्दर संरक्षक

- (v) पेशन राशि का भुगतान कोषाधिकारी और उप-कोषाधिकारी यथा सम्बव प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक करेंगे।
- (vi) यदि पेशनर निष्कर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को, प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर पेशनर के अंगूठे के निशान लगायए जाएंगे।
- (vii) पेशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब-किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में अन्तर्विष्ट है।

राज्यपाल की आङ्ग से

 (अदिति मेहता)
 अतिरिक्त मुख्य सचिव

परिशिक्षण का

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेखा संख्या का आवंटन :-

- (i) ये अनुदेश, लेखा प्रक्रिया पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान से संबंधित हैं, जिनका उप खण्ड अधिकारी/कोषाधिकारी और उपकोषाधिकारी को अनुसरण करना चाहिये।
- (ii) किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थीकृति प्राप्त होने के दूरज्ञ पश्चात् उप स्थल अधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी रजिस्टर एस.एस.पी. V में पेंशनर की विशिष्टियाँ प्रविष्ट करेगा तथा राज्य एवं जिले के नामके संक्षिकाक्षर के पहले मार्गदर्शी (गाइड) स्वरूप वृद्धावस्था पेंशन लेखा संख्या लगाते हुए “ओ.ए.पी.” विधवा पेंशन के लिए “डब्ल्यू.पी.” परित्यक्ता पेंशन के लिये “पी.टी.पी.” मार्गदर्शी अक्षर अंकित करते हुये उस कोष / तहसील के पेंशन भुगतान के आदेश पर उप खण्ड अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले पी.पी.ओ. में 00 एवं उपकोषाधिकारी के लिए जारी किये जाने वाले पी.पी.ओ. में 1 से 10 अथवा आमे के नम्बर (उपकोषों की संख्याएँ के अनुसार) के आगे सतत् क्रम संख्या लगाएगा और स्थीकृतिकर्ता प्राधिकारी, पेंशनर तथा संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को वृद्धावस्था विधवा पेंशन भुगतान आदेश की संख्या से संसूचित करेगा।
- (iii) वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन भुगतान आदेश प्रारूप एस.एस.पी. IV में स्थीकृति प्राप्त होने के 15 दिवस में जारी किया जायेगा। पेंशन भुगतान आदेश तीन प्रतियों में होगा -- एक प्रति पेंशन प्राप्तकर्ता या पेंशनर को या जीवन प्रमाण-पत्र के आधार पर उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, दूसरी प्रति कोषागार या उग कोषागार के लिए होगी, जिसे भुगतान का अभिलेख रखने के लिए कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी के पास रखा जाएगा एवं तीसरी प्रति स्थीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय के लिये होगी। पेंशनर का फोटो कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी की प्रति पर चिपकाया जाएगा।
- (iv) कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवितरण का अभिलेख एस.एस.पी. VIII में संधारित किया जायेगा।

2. मनीआर्डर या बैंक/पोस्ट आफिस वहत खाते/आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली द्वारा पेशन का भुगतान :-

- (i) पेशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक वहत खाते/पोस्ट आफिस के वहत खाते/ आधार कार्ड आधारित भुगतान अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पेशनों की स्वीकृति इस कार्य हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर ऑन लाइन जारी की जाकर, यथासम्भव भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस के वहत खाते/ के माध्यम से ही किया जावे।
- (ii) जहां पर वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा पेशन का भुगतान मनीआर्डर द्वारा किया जाता हो, प्रत्येक पेशनर के लिए मनीआर्डर फार्म अलग से भरा जाएगा, और उस पर लाल स्थानी में राजस्थान वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा पेशन योजना की रबर सील लगाई जाएगी। इसी प्रकार से मनीआर्डर पावती कूपन पर भी लाल स्थानी से राजस्थान वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा पेशन योजना की रबर सील लगाई जाएगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मनीआर्डर फार्म में लिखा गया पता सही है। मनीआर्डर रसीद के प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी के लघु हस्ताक्षरों सहित रामाजिक सुरक्षा पेशन भुगतान के रजिस्टर एस.एस.पी. VI के समुचित स्थान में प्रत्येक भुगतान और रामाजिक सुरक्षा पेशन भुगतान के आदेश की प्रविधि की जाएगी।
- (iii) (क) कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी को मनीआर्डर द्वारा भेजी गयी पेशन के लेखे के यथोचित रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगे। वे रामस्त प्रेताणों के लिए की प्राप्तकर्ताओं की अभिस्थीकृतियों को देखें और प्राप्ति के पश्चात उनको क्रम से व्यवस्थित करेंगे, उन पर निरस्त करने की सील लगवायेंगे और रजिस्टर एस.एस.पी. VI में अभिलिखित करेंगे। यदि मनीआर्डर की अभिस्थीकृति रसीद 30 दिन तक भी प्राप्त नहीं होती है या पेशन के भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो वह टाक प्राधिकारियों और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसकी जांच करायेगा। कपटपूर्ण भुगतान के मामले की जांच की जाएगी और उसकी रिपोर्ट कलेक्टर को की जाएगी। भुगतान नहीं हुए या टाक प्राधिकारियों द्वारा लौटाए गए ग्रीनआर्डरों की रजिस्टर एस.एस.पी. X में प्रविष्ट की जाएगी। अवितारित राशि आगामी मास के संबंधित लेखा शीर्ष में मानइस डेबिट और

"माइनस ड्रेडिट के द्वारा प्रतिदाय कर दी जानी चाहिए। अवितरित रकम का पश्चात् वर्ती भुगतान भली प्रकार जांच और सत्त्वापन के पश्चात् किया जाना चाहिए और रजिस्टर एस.एस.पी. X में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए।

(ख) कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी, कोषागार में मासिक लेखे की संबंधित अनुसूची के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र यथास्थिति, सलान या अभिलिखित करेगा :—

"प्रमाणित किया जाता है कि सभी मामलों में गत मास के मनीआर्डरों की अभिसूचीकृतियाँ प्राप्त हो गई हैं और अवितरित लौटाए गए मनीआर्डरों की रकम संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस-डेबिट द्वारा कोषागार में वापिस प्रेषित कर दी गई है।"

(ग) मनीआर्डर के कमीशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेशन के भुगतान के कारण व्यव संबंधित पेशन के लेखा शीर्षक पर भारित होगा।

(घ) कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी प्रतिमाह लौटकर आने वाले मनीआर्डरों के लेखों का संधारण एस.एस.पी. VII "मनीआर्डर यापसी रजिस्टर" में करेंगे।

3. पेशन के भुगतान के लिए बिलों द्वारा धन का आहरण :—

(i) कोषागार/उपकोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेशन का भुगतान वाहने वाले पेशनरों को नकद में पेशन के भुगतान हेतु अधिक आहरण के लिए उप-कोषाधिकारी/कोषाधिकारी संक्षिप्त बिल (एब्स्ट्रक्ट कॉल्टीजेन्ट बिल) के द्वारा रूपये आहरित करेगा।

4. पेशन भुगतान आदेश का अन्तरण :— पेशन प्राप्तकर्ता द्वारा पता में परिवर्तन की सूचना दी जाए तो उप-कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(i) यदि नया पता उसी सहसील में हो तो उप-कोषाधिकारी रजिस्टर एस.एस.पी. V के समुचित स्तराघ में संशोधन करेगा और कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक सुधार के लिए नया पता सूचित करेगा। प्रत्येक ऐसे अवसर पर उप-कोषाधिकारी पेशनर के अस्तित्व में बने रहने को सत्यापित करने और यह देखने के लिए कि क्या उसका लगातार पेशन दिए जाने या नहीं दिए जाने की परिस्थितियाँ निर्धारित हैं, आवश्यक कदम उठाएगा।

- (ii) यदि नया पता उसी जिले की किसी अन्य तहसील में हो तो उप-कोषाधिकारी जिले के कोषाधिकारी और सीमावृत्तिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करते हुए रजिस्टर एस.एस.पी. संख्या V में लाल स्थाही से इस आशय की एक प्रविष्टि करेगा कि पेशन भुगतान आदेश का अन्तरण सम्बन्धित उप-कोषाधिकारी को किया गया। वह उप-कोषाधिकारी, जिसे पेशन भुगतान आदेश का अन्तरण किया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र में पेशनर के अस्तित्व में बने रहने और लगातार पेशन दिए जाने की परिस्थितियों के अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेशन का भुगतान प्राप्त करेगा।
- (iii) उप-कोषागार से जिला कोषागार में और जिला कोषागार से उप-कोषागार में पेशन भुगतान आदेश के अन्तरण के पासले में पैरा (ii) में अधिकथित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
- (iv) यदि पेशनर अपने निवास के जिले से भिन्न कोषागार या उप कोषागार में पेशन का भुगतान चाहे तो उस दशा में संबंधित उप-कोषाधिकारी अपने जिले के कोषाधिकारी के पास पेशन भुगतान आदेश को भेजेगा जो कि राज्य के अन्य जिले के कोषाधिकारी को, जिससे कि वह पेशन प्राप्त करना चाहे, उसके पेशन संबंधी दस्तावेज भेजने की व्यवस्था करेगा। कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी संबंधित रजिस्टरों में इस आशय का नोट लाल स्थाही से लगाएगा। नया कोषाधिकारी नये पेशन भुगतान आदेश की संख्या का आवंटन करेगा और इसके पश्चात् उप-कोषाधिकारी को, अपने क्षेत्र में पेशनर का अस्तित्व में बने रहना और पेशन स्वीकृति की परिस्थितियां बनी रहना अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेशन के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए पेशन भुगतान आदेश भेजेगा।
- (v) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेशन योजनाओं में स्थानान्तरण :-
 सामाजिक सुरक्षा पेशन प्राप्त कर रहे लाभान्वितों के इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन अधिकारी इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेशन हेतु निर्धारित पात्रता की शर्त पूर्ण करने पर आगामी साह की। तारीख से साम्बन्धित लाभान्वित को इन राष्ट्रीय पेशन योजनाओं के संगत वर्ग में स्थानान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा एवं लाभान्वित को केन्द्रीय अंग का भुगतान भी साम्बन्धित राष्ट्रीय पेशन योजना के निर्धारित बजट मद से किया जायेगा। यह कार्य सम्बन्धित कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी द्वारा प्रतिमाह समीक्षा कर स्थानान्तरित होने योग्य लाभार्थियों को घोषित कर किया जायेगा एवं इसकी सूचना राष्ट्रीय राष्ट्रीय अधिकारी के माध्यम से साम्बन्धित राष्ट्रीय पेशन योजना में नहीं

स्त्रीकृति जारी करवाकर पुरानी को रद्द करायेगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को भी दी जायेगी।



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
लो १/१ नियमन पत्र बोर्ड अध्याय-१ नियम २ (vii) के लिए निम्न प्रावधान जोड़ा जाता

फॉर्म/फ : राज ७(६)(१२-१)/साम्यांत्रि/२००८-०९/५६०५

दिनांक ०५-०५-२०१३

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा युद्धावरथा, विभाग, परिस्थिति, एवं सलाकशुदा पेशन नियम २०१३ के अन्तर्गत अध्याय-१ नियम २ (vii) के नीचे निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है :-

आयेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति के कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के आयेदकों के लिए संबंधित विकास अधिकारी पेशन स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। पेशन स्वीकृति संबंधित समस्त रिकॉर्ड संधारण द्वारा किया जायेगा।

उक्त नियम के अध्याय-१ नियम २(vii) के नीचे निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है :-

आयेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति के कार्यवाही विवरण पर फॉर्मटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। शहरी क्षेत्र के आयेदकों के लिए संबंधित उप खण्ड अधिकारी पेशन स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। पेशन स्वीकृति संबंधित समस्त रिकॉर्ड संधारण उप खण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

लक्ष्मी गियर के अध्याय-४ के नियम ५ (i) का प्रथम अनुच्छेद “ग्रामीण क्षेत्र का प्राप्तिकार आयेदन पत्र प्रस्तुत करेगा” को विलोपित कर इसके स्थान पर निम्नानुसार किया जाता है -

“ग्रामीण क्षेत्र का आयेदक, जिस पंचायत समिति में निवास कर रहा है उस पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र के आयेदक संबंधित उपखण्ड अधिकारी के पश्चों की प्राप्तिलिपियों सहित, आयेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।”

उक्त नियम के अध्याय-५ के नियम ५ (ix) की घटुर्ध लाइन “प्रारूप ।V में पेशन भुगतान का आदेश जारी कर तो विलोपित किया जाता है।

उक्त नियम के अध्याय-५ के नियम १२ को विलोपित कर इसके स्थान पर निम्न प्राप्तिकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

यांचिक सत्यापन- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ग्राम सभिदालाय व्यवस्था व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले केसों में सरलता एवं गटगती प्राप्ति तथा वापावार गोत्रिक सरकारी कर दस्तावेज़ की ओर प्राप्ति की जाएगी।

रिधि/परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलों में पुनर्विवाह न होने या बी.पी.एल.सूची द्वारा नहीं होने तक का प्रमाण रखनी की रुग्ण गैं विवाह अधिकारी के साम्यग से राखिया। कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा प्राप्तुत कर सकेंगे। पेशनर उसके निवास क्षेत्र में पटवारी और सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाला पेशनर उसके निवास क्षेत्र की नाम पालिका/नगर परिषद/नगर निगम में पदस्थापित अधिकारी/आयुक्त/पुरुष विधाया/परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलों में पुनर्विवाह न होने या बी.पी.एल.सूची में कर सकेंगे। परन्तु पेशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पेशनर को सूचीबद्ध रहने या जीवन निवाह हेतु स्वयं की नियमित आय नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत मृत्यु या अस्थि किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेशन के संदर्भ के लिए से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। सदैह की स्थिति में पेशन भुगतान अधिकारी पेशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेशन संदाय आदेश में बताये गये पहचान विन्हों के सदर्भ में अपनी सतुष्टि एस.प्री. V में भौतिक सीम्यापन का तथ्य अंकित किया जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगे।

आयुक्त एवं शासन सचिव

दिनांक ०५.०८.२०१३

प्रतिलिपि किए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव प्रमुख सचिव भाननीय मुख्यमंत्री महोदय राज जयपुर।
2. निजी सचिव प्रमुख सचिव महोदय राज जयपुर।
3. निजी सचिव अतिरिक्त प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज जयपुर।
4. निजी सचिव अतिरिक्त प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पर्याप्ती राज विभाग राज जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजरक्ष विभाग, राज जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर्स।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
12. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग।
13. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (पेशन)

राजस्थान सरकार
सामाजिक आय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१, अमेरठनगर नगर, जयपुर।

फलाफ़ल: एफ ०९(०५) (१२-१) साम्यांचि / २०१३-१४/३३५० जयपुर दिनांक १५-०५-२०१३

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा बुद्धिमत्ता विभाग/ परिवहन/ राजकारुका पेशन नियम, २०१३ के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित/ प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अध्याय: १ के नियम २ —का उपनियम :—

"(iii) "आय" से अभिप्रैत है, कि प्रार्थी के जीवन निर्धारित हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये ४८०००/- से कम हो।

आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रियानुसार स्वयं हारा प्रस्तुत आय की उद्घोषणा, जो कि तहसीलदार/ नोटरी पश्चिम द्वारा प्रमाणीकृत हो, प्रमाण-पत्र मान्य होगा।"

अध्याय: २ के नियम ३ —का उपनियम :—

"(1) ५५ वर्ष या इससे अधिक आयु को महिला तथा ५४ वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष को, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसके जीवन निर्धारित हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये ४८०००/- से कम हो या"

अध्याय: २ के नियम ३ के उपनियम ३ के नीचे निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

"पात्रता के उपनियम १ से ३ तक कोई आवेदक पेशन की पात्रता रखते हुए भी, गदि प्रार्थी के पति या पत्नि या पुत्र राज्य सरकार की राजकीय सेवा/ राजकीय उपकरण में सेवारत हो या राजकीय पेशनर हो, तो वह इन [नियम] के अन्तर्गत पेशा पापा करने का पात्र नहीं होगा।"

अध्याय: 3 के नियम 4: पात्रता का उपनियम(4) को विभानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"(4) जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, अथवा जिसकी समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48000/- से कम हो।"

अध्याय: 3 के नियम 4 के उपनियम (4) के नीचे विभानुसार जोड़ा जाता है:-

"पात्रता के उपनियम 1 से 4 तक कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी का पुत्र राज्य सरकार की राजकीय सेवा/राजकीय उपकरण में सेवारत हो, या राजकीय पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।"

अध्याय: 3 के नियम 4 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या (५) के बाद बिन्दु संख्या (६.) विभानुसार जोड़ा जाता है:-

(६.) "ऐसी महिलाएँ, जो तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही हैं एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र की उक्त परित्यक्ता महिलाओं को सरपंच, ग्रामसचिव एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड, अधिकारी के हारा परित्यक्ता का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। तत्पश्चात् प्रति वर्ष परित्यक्ता महिला को इस आशय का शपत्र पत्र देना चाहिए कि वह अपने पति से गत तीन वर्ष से अधिक समय से अलग रह रही है एवं पति रा कोई सम्बन्ध नहीं है।"

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्रमुख शासन राजिय

अमांक: एफ ०९(०६) (१२-१) सान्याअयि/२०१३-१४/३३४/-३७/जयपुर दिनांक १५-०७-२०१३

प्रतिलिपि गिरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
२. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
३. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज. जयपुर।
४. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
५. प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्व/सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग राज. जयपुर।
६. समस्त सभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर/रामस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
७. निदेशक, ब्लैष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
८. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
९. अतिरिक्त निदेशक(पेशन), सान्याअयि, राजस्थान, जयपुर।
१०. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं रामाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज।।
११. आदेश पत्रावली।

४५६
आयुक्त ११६/१२

राजस्थान सरकार
सामाजिक चाल एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१, अमेड़कर नगर, जयपुर।

फलांक: एफ ०९(०५) (१२-१) साम्याविवि/२०१३-१४/३७// - जयपुर दिनांक /८.५.२०१३

आदेश

राज्य सरकार की घोषणानुस्वरूप दिनांक २०.०४.२०१३ से ३१.०५.२०१३ तक आयोजित किये जाने वाले विशेष बैंशाल शहाअभियान के दौरान राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेशन नियम, २०१३ के अध्याय-१ के नियम ३ के उपनियम vi, vii एवं viii एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावरथा, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेशन नियम, २०१३ के अध्याय-१ के नियम २ के उपनियम vi, vii, एवं viii में वर्णित स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति को नियमों में प्रदत्त कार्य एवं कर्तव्यों को विशेष पेशन महाअभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेशन प्रकरणों के निपटारे हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी को प्रत्यायोजित (delegate) व अधिकृत किया जाता है।

उक्त पेशन नियमों के नियम ५ (i) आवेदन देने एवं पेशन स्वीकार करने की प्रक्रिया के अनुसार— "ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक जिस पंचायत समिति में निवास कर रहा है उस पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के राग्राम प्रारूप एस एस पी-१ में पेशन के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सभी प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति प्रतिलिपियों सहित, आवेदन पत्र प्रत्युत फरेगा"। इस सम्बन्ध में पूर्व में विभागीय भाग सञ्चयक आदेश क्रमांक ५६०४ / ५६०५ दिनांक ०४.०४.१३ से आपको अद्यगत करवा दिया गया है।

पेशन आवेदन एवं स्वीकृति जारी करने के पश्चात समस्त आवश्यक रिकॉर्ड सम्बन्धित स्वीकृति अधिकारी आगे कार्यालय में संधारण करेंगे।

इस के अतिरिक्त नियमों में वर्णित ऐसे परिवार के सदस्य, जिनका घरन ग्रामीण भीमा विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किये गये सर्वेक्षण में, गरीबी की रेखा की विहार या आस्था कार्डघारी परिवार आदि के पेशन प्रकरणों में आय प्रमाण-पत्र लिये जाने की आदाशयकता नहीं होगी।

ऐशोष योगराजन पेशन के मामलों में धार्चिक आय सीमा रुपये 60,000/- से कम है वहाँ विधवा आदि गामलों में वापीक आय सीमा रुपये 48,000/- से कम होती है।

अतः उक्त अधिकारी नियमों से वर्णित पेशन हेतु आवेदन प्राप्त करने एवं स्वीकृत करने हेतु पूर्ण प्रक्रिया की पालना सूनिश्चित करें जिससे जिले में अधिक से अधिक लोगों को पेशन योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।

प्रमुख शासन सचिव

फलांक: एफ 09(05) (12-1) सान्ध्यावि / 2013-14 / ३७/२-५०४२ जयपुर दिनांक १५-०५-२०१३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री भोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त / राजस्व / सामाजिक न्याय एवं आधि विभाग राज. जयपुर।
6. सामस्त संभागीय आयुक्त / समस्त जिला कलेक्टर / समरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
8. सामस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी।
9. अतिरिक्त निदेशक(पेशन), सान्ध्यावि, राजस्थान, जयपुर।
10. सामस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कलाण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज।
11. आदेश पत्रावली।

म/व/स
आमृता १३/१३

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१, अष्टेडकर मार्ग, जयपुर।

फ्रमाल: एफ ०९(०८) (१२-१) सान्ध्याअधि/२०१३-१४/६१२२

जयपुर दिगंक १२.५५-२०

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा बृहत्सभा, विभाग/ परिस्थिति/ तलाकसुना पेशन नियम,
२०१३ के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित/ प्रतिरक्षापित किया जाता है:-

अध्याय: ३ के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या (घ) के बाद
बिन्दु संख्या (ङ.) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(ङ.) "ऐसी महिलाएँ, जो तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही हैं, एवं पति से
कोई सम्बन्ध नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र की उच्च परिस्थिता महिलाओं को, सरपंच, ग्रामसचिव एवं पटवारी
यी सम्युक्त रिपोर्ट के आधार पर एवं शहरी क्षेत्र की उच्च परिस्थिता महिलाओं को स्थानीय नगर
पिण्ड का अधिशासी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका प्रतिनिधि अधिकारी एवं वार्ड मेंबर/
वार्ड पार्षद एवं पटवारी की सम्युक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उपर्युक्त अधिकारी के द्वारा
परिस्थिता का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

तत्पश्चात् प्रति वर्ष परिस्थिता महिला को पेशन रखीकृति अधिकारी को इस
आशय का शपत्र-पत्र देना होगा कि वह अपने पति से यत् तीन वर्ष से अधिक समय से
अलग रह रही है एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है।"

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्राप्ति आठवीं नियम
१२/८/१३

क्रमांक: एफ ०५(०६) (१२ ।) सान्याओवि/२०१३-१४/५७/८२ जयपुर विभाग । ८. ५७, ८१, ८८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त है:-

- १.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- २.निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- ३.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज., जयपुर।
- ४.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
- ५.प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्य/सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग राज. जयपुर।
- ६.समस्त सभारीय आयुक्त/समस्त ज़िला कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- ७.निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
- ८.समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
- ९.अतिरिक्त निदेशक(पेशन), सान्याओवि, राजस्थान, जयपुर।
- १०.समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.।
- ११.आदेश पत्रावली।

४६
आयुक्त । २१६।।।

राजस्थान सरकार
सामाजिक आय एवं अधिकारिता किंवा
जी-३/। अधेड़कर वाग, जम्पुर।

कामांक: एफ ०९(०६) (१२-१) साल्याओयि/२०१३-१४/६२१७ जयपुर दिनांक: १९.०४.२०१३

आदेश

राजस्थान सामाजिक आय एवं अधिकारिता किंवा/ प्रतिवेदन/ तलाकशुदा पेशन नियम, २०१३ के अन्तर्गत निम्नानुसार भरोधित/प्रतिष्ठापित किया जाता है:-

अध्याय: १ के नियम २ -का उपनियम :-

"(iii) "आय" से अभिप्रेत है, कि प्रार्थी के जीवन निवाह हेतु रख्य एवं पत्नि/पति की नियमित आय का कोई स्वीकृत नहीं हो अथवा प्रार्थी एवं पत्नि/पति की समस्त स्वीकृतों से कुल यांत्रिक आय रूपये ४८०००/- से कम हो जाय। एक कि नियमों में अन्यथा रख्य ५ विशिष्ट प्रायधान नहीं हो।

आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रियानुसार प्रस्तुत आय की उद्घोषणा, जो कि तहसीलदार/ नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो, प्रमाण-पत्र मान्य होगा।"

अध्याय: २ के नियम ३ -का उपनियम :-

"(1) ५५ वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा ५८ वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष को, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसके जीवन निवाह हेतु रख्य एवं पत्नि/पति की नियमित आय का कोई स्वीकृत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नि/पति की समस्त स्वीकृतों से कुल यांत्रिक आय रूपये ४८०००/- से कम हो, या"

उक्ता संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

प्रमाण शारण लिखा

१७/७/१३

संग्रहीकृत नम्बर ०९(०५) (१२-१) सांख्याग्राही / २०१३-१४ / ६२१९ जयपुर दिनांक १९.०८.२०१३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आधारक कार्यवाही हेतु व्रेष्टा है:-

१. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
२. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
३. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज., जयपुर।
४. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
५. प्रमुख शासन सचिव, वित्ती/राजस्व/सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग राज. जयपुर।
६. सांस्कृतिक आयुक्त/समस्ता जिला कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
७. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
८. निदेशक, कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
९. अतिरिक्त निदेशक(पैशां), सांख्याग्राही, राजस्थान, जयपुर।
१०. सांस्कृतिक उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं सांगाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज।
११. भाईश, पत्राधाली।

आयुक्त १९/८/१३.

राजस्थान राजकारण
ग्रामजिक अनुयाय एवं प्रगतिशालीता लिपिग्रन्थ
जी-३/१, अम्बेडकर पार्क, जयपुर।

प्राप्ति क्र. नं. ०५(०६) (१२), मार्च २०१३। १४२

वाराणसी दिवाली ६७

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा / परित्यक्ता / समाजशुदा पेशन नियम, 2013 के अध्याय 1 के नियम 2 –का उपनियम (iii) को निर्माणनुसार प्रतिस्थापित किया गया है।

"(iii) "आय" से अभिप्रेत हैं कि प्रार्थी के जीवने निवाह हेतु स्वयं एव पति/पति की नियमित आय का कोई रत्नोत नहीं हो अथवा प्रार्थी एव पति/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल गार्हिक आय रूपये 48000/- से ज्यग हो, जब तक कि नियमों में अन्यथा साइद्ध एवं विशिष्ट प्रावधान नहीं हो।

आवेदक को आय का घोषणा पत्र एवं प्रभाणीकरण प्रारूप एस.एस.पी. । का भाग- IV एवं भाग- V में निर्धारित प्रक्रियानुसार देना होगा।"

उक्ता संशोधन तरत्तु प्रभाव से लाग होगे।

Digitized by srujanika@gmail.com

(डॉ. मणित शिंह) ५/५/१५

નિયમાં લખેલા 09(05) (12-1) શાસ્ત્રાર્થ/2013-14/ 11115 - ૧૮૭ જાયપુર વિદ્યાલય ૬ - ૦૩ - ૧૫

• 100% گل پاک اور نیک • ۰۳۱۹۷۶۴۸۷۵۲۰ • ۰۳۱۹۷۶۴۸۷۵۲۰

१. नेत्री सामिन प्राप्ति आरात संचिद, पाननीय गुल्म्यामी नानीय राजस्थान जयपुर।
 २. नेत्री सामिन गुल्म्य संचिद राजस्थान, जयपुर।
 ३. नेत्री सामिन अतिरिक्त गुल्म्य संचिद, प्राप्तीय विकारा एवं पचासक्षात् विभाग राजे जयपुर।
 ४. नेत्री सामिन, अतिरिक्त गुल्म्य संचिद नमीय विकास एवं आचारात् विभाग राजे, जयपुर।
 ५. प्रभुख शासन सामेव, निता / राजरब / सामाजिक न्याय एवं अधि विभाग राजे, जयपुर।
 ६. संयुक्त शासन संचिद वित्त (नियां) / (व्यय-२) विभाग राजस्थान जयपुर।
 ७. समस्त राजानीय अस्युका / समस्त जिला कलेक्टर / राजस्त मुख्य नार्यकारी अधिकारी।
 ८. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
 ९. समस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी।
 १०. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं साज कल्याण अधिकारी, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजे।
 ११. आदेश प्रजाधर्मी।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अध्येदकर भवन जी-३/१ राजमहल रेजीडेंसी हारेया, रिंगरेल लाईन, जयपुर

क्रमांक:- एफ ०५(०६)(१२-१)सान्याख्यि/ 2013-14/ ७७२६, जयपुर, दिनांक: 12.05.2013

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है।

अध्याय: 4 के नियम ४ :— “पेंशन सकाम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने की तारीख से संबंधित माह की प्रथम तारीख से पूरे माह के लिये संदेय होगी।”

अध्याय: 6 के नियम १६ (iii) :— “पेंशन स्वीकृति के माह में ही देय होगी एवं स्वीकृति दिनांक के तत्काल पश्चात जारी की जायेगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासम्भव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।”

स्पष्टीकरण :— उदाहरण के रूप में उक्त पेंशन नियमों के अन्तर्गत यदि किसी पात्र आवेदक को पेंशन की स्वीकृति माह विशेष की ४ तारीख को स्वीकृत होने पर उसे संबंधित माह की ४ तारीख से ही पूरे माह के लिये संदेय होगी। जो कि उक्त माह की ४ तारीख के तत्काल पश्चात जारी की जायेगी।

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

12/5/13,

कागांक एप्रि 09(05) (12- 1) सान्याआवे/2013- 14/८८८६

जयपुर दिनांक १०/०५/२०१३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आधारक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रभुद्य शासन सचिव, गाननीय मुख्यमंत्री महोदय, सफरथान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रभुद्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अधिकारिक मुख्य सचिव, राजीव विकास एवं प्रशासनीराज विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, अधिकारिक मुख्य सचिव, नवरीय विभास एवं आवासोन विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रभुद्य शासन सचिव, विता/सजस्य/सामाजिक चाय एवं आदि विभाग राज., जयपुर।
6. समस्त राजाधीय आमुल्त/रामस्त जिल्ड कर्तृकाल/समस्त गुरुद्य कार्यकारी अधिकारी।
7. निदेशक, कोष एवं सेखा, राजरथान, जयपुर।
8. समस्त कोषधिकारी/उपकोषधिकारी।
9. अतिरिक्त निदेशक(पैशान), सान्याआवि, राजरथान, जयपुर।
10. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिषदा एवं समाज कर्त्याण अधिकारी, सामाजिक चाय एवं अधिकारिता विभाग राज।

आमुल्त
भग्नि

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१, अम्बेडकर मार्ग, जयपुर।
क्रमांक: एफ ०९(०५) (१२-१) सान्याअवि/२०१३-१४/ ८५९३ जयपुर दिनांक २२-५-१३

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा पेशन नियम, २०१३ एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेशन नियम, २०१३ के नियमों में यह प्रावधान है कि प्रार्थी के पति या पत्नि या पुत्र राज्य सरकार की राजकीय सेवा/ राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या राजकीय पेशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

कुछ जिलों से पेशन अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों पर यह स्पष्टीकरण चाहा गया था कि क्या राज्य में मानदेय पर कार्यरत आशा सहयोगियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन आदि को राजकीय सेवा में कार्यरत माना जाए या नहीं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मानदेय पर कार्यरत आशा सहयोगियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन आदि कर्मियों को, यदि वह सामाजिक सुरक्षा पेशन नियमों में निर्धारित वार्षिक आय सीमा एवं अन्य पात्रता रखती है, राजकीय सेवा में कार्यरत न मानकर नियमानुसार पेशन स्वीकृत की जा सकती है।

यह स्पष्टीकरण वित्त(व्यय-२) विभाग की आई डी संख्या १०१३०१८९८ १५ नं. ०३.०५.२०१३ के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

(डा.मनजीत रिह)

प्रमुख शासन सचिव

जयपुर दिनांक २२/५/१३

क्रमांक: एफ ०९(०५) (१२-१) सान्याअवि/२०१३-१४/ ८५९३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
२. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
३. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
४. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज., जयपुर।
५. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
६. प्रमुख शासन सचिव, वित्त/राजस्व/सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग राज. जयपुर।
७. समस्त संसारीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
८. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
९. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
१०. अतिरिक्त निदेशक(पेशन), सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
११. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिधीका एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज।
१२. आदेश प्रत्रावली।

४
(अजिसाम शर्मा)
आयुक्त